



राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त उद्योग एवं
शासन सचिव, कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)
उद्योग भवन, तिलक मार्ग, जयपुर-302 005



क्रमांक एफ 1(523)आ.उ./पीएडी अनु/कार्य.आ./2012

दिनांक 03.10-2018

::आदेश::

पूर्व प्रसारित आदेशों को अतिक्रमित करते हुए कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर में पदस्थापित उद्योग सेवा/लेखा सेवा/सांख्यिकी/विधि सेवा से संबंधित अधिकारियों के अवकाश काल, यात्रा प्रवास आदि पर रहने की स्थिति में राजकीय कार्य बाधित नहीं हो इस हेतु उनके नाम के सम्मुख अंकित अधिकारी एक दूसरे के लिंक अधिकारी के रूप में कार्य सम्पादित करेंगे।

क्र.सं.	नाम अधिकारी व पद	लिंक अधिकारी
1.	श्री डी.सी.गुप्ता, अतिरिक्त निदेशक	श्री पी.के.जैन, अतिरिक्त निदेशक
2.	श्री अविन्द्र लढढा, संयुक्त निदेशक	श्री चिम्मनलाल, संयुक्त निदेशक
3.	श्री एस.एस.शाह, संयुक्त निदेशक	श्री संजीव सकसैना, संयुक्त निदेशक
4.	श्री पी.आर.शर्मा, संयुक्त निदेशक	श्री एस.एल.पालीवाल, उप निदेशक
5.	श्री संजय मामगेन, उप निदेशक	श्री चिरंजीलाल, उप निदेशक
6.	श्रीमती निधि शर्मा, उप निदेशक	श्री रविश कुमार शर्मा, उप निदेशक
7.	श्री धर्मेन्द्र पूनिया, उप निदेशक	श्री रवि कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक
8.	श्री के.के. पारीक, उप निदेशक	श्री रश्मिकांत नागर, सहायक निदेशक
9.	वित्तीय सलाहकार	वरिष्ठ/लेखाधिकारी
10.	उप विधि परामर्शी	वरिष्ठ विधि अधिकारी
11.	उप निदेशक, सांख्यिकी	सांख्यिकी अधिकारी

यह आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(डॉ. समित शर्मा)
आयुक्त, उद्योग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त प्रभारी अधिकारी (मुख्यालय) को भेजकर अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर उनके अधीन कार्यरत कार्मिकों के लिंक कार्मिक के आदेश अपनी सुविधानुसार जारी करें।
2. महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
3. निजी सहायक, आयुक्त, उद्योग।

(एस.एस. शाह)
संयुक्त निदेशक, उद्योग